

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 39]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 23 सितम्बर 2016—आश्विन 1, शक 1938

भाग ४

विषय-सूची

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) (1) अध्यादेश, | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, | (3) संसद् के अधिनियम. |
| (ग) (1) प्रारूप नियम, | (2) अन्तिम नियम. | |

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़
जनजाति कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016

शासकीय इंजीनियरिंग, मेडिकल/बी.डी.एस. कॉलेजों
में अध्ययनरत् विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़
जनजाति के विद्यार्थियों को लैपटॉप प्रदाय
योजना नियम—2016

क्र. एफ 3-4-2016-बासठ.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, “शासकीय इंजीनियरिंग, मेडिकल/बी.डी.एस. कॉलेजों में अध्ययनरत् विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति के विद्यार्थियों को लैपटॉप प्रदान योजना नियम 2016”, का प्रकाशन किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रतिभा ढोरे, उपसचिव.

1. संक्षिप्त नाम.—शासकीय इंजीनियरिंग, मेडिकल/बी.डी.एस. कॉलेजों में अध्ययनरत् विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति के विद्यार्थियों को लैपटॉप प्रदाय योजना नियम—2016 होगा. योजना शासन द्वारा जारी स्वीकृति आदेश दिनांक से प्रभावशील होगी.

2. **योजना का उद्देश्य.**—विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति के शासकीय अभियांत्रिकीय, चिकित्सा एवं बी.डी.एस. महाविद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों को आधुनिक सूचना एवं प्रौद्योगिकी की सेवाओं का उपयोग कर शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना तथा उन्हें संचार की आधुनिकीकरण सुविधाओं से परिपूर्ण कर सूचनाओं और जानकारी के अवसर उपलब्ध कराना है.

3. **पात्रता.**—विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति के शासकीय अभियांत्रिकीय, चिकित्सा एवं बी.डी.एस. महाविद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों को वर्ष 2016-17 में प्रथम वर्ष से अंतिम वर्ष तक अध्ययनरत् रुपये 3.00 लाख की आय सीमा तक के विद्यार्थियों को लैपटॉप की पात्रता होगी. एक विद्यार्थी को मात्र एक बार ही लैपटॉप दिया जायेगा.

विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति के शासकीय अभियांत्रिकीय, चिकित्सा एवं बी.डी.एस. महाविद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों को अन्य वर्ग के रूप में पात्रता न होने पर ही यह लाभ दिया जायेगा.

4. **यूनिट कॉस्ट.**—लैपटॉप की अधिकतम यूनिट कॉस्ट रुपये 25,000/- (रुपये पच्चीस हजार मात्र) होगी. इस राशि से अधिक का लैपटॉप क्रय करने पर अतिरिक्त राशि का व्यय भार विद्यार्थी को स्वयं वहन करना होगा.

5. **लैपटॉप वितरण.**—लैपटॉप का क्रय विद्यार्थी द्वारा अपनी रूचि की कम्पनी एवं मेक का स्वयं किया जायेगा. लैपटॉप क्रय की रसीद प्राचार्य को उपलब्ध कराने पर पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के बैंक एकाउन्ट में अधिकतम राशि रुपये 25,000/- (रुपये पच्चीस हजार मात्र) प्राचार्य द्वारा जमा कराई जायेगी.

6. **योजना पर व्यय.**—योजना का व्यय योजना अंतर्गत विभागीय बजट में प्रावधानित राशि से किया जायेगा. योजना पर आवश्यकतानुसार प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर बजट प्रावधान किया जायेगा.

7. **स्वीकृति के अधिकार.**—योजना में पात्र छात्र-छात्राओं को लैपटॉप स्वीकृति का अधिकार, संबंधित जिले के कलेक्टर को होगा. संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य की अनुशंसा एवं प्रस्ताव पर कलेक्टर द्वारा स्वीकृति दी जायेगी.

8. **अभिलेखों का संधारण.**—अभिलेखों का संधारण संबंधित प्राचार्य, अभियांत्रिकीय चिकित्सा एवं बी.डी.एस. महाविद्यालय के कार्यालय में किया जायेगा. विभागीय अधिकारी के कार्यालय में भी योजना से संबंधित अभिलेख संधारित होंगे.

9. **योजना में संशोधन/परिवर्तन के अधिकार.**—योजना में संशोधन/परिवर्तन का अधिकार मध्यप्रदेश शासन, विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग को होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रतिभा ढोरे, उपसचिव.

धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 सितम्बर 2016

क्र. एफ-7-1-2016-छः.—विभागीय आदेश क्र. एफ-7-2-2012-छः; मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 26 जून 2012 को प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-7-2-2012-छः; दिनांक 25 जून 2012 मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना नियम, 2012 में एतद्वारा निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:—

1. नियम 4 (2) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:—

“60 वर्ष से अधिक आयु का हो. परन्तु यह भी कि 60 प्रतिशत से अधिक विकलांग व्यक्ति पर आयु का बंधन लागू नहीं होगा, बशर्ते कि वह यात्रा करने हेतु अन्यथा सक्षम हो”

2. नियम 11 (7) में निम्नलिखित पंक्ति विलोपित की जाती है:—

“पति/पत्नी के साथ-साथ यात्रा करने पर सहायक को साथ ले जाने की सुविधा नहीं रहेगी”

3. नियम 11 (7) में “65 वर्ष से अधिक आयु के”, पश्चात् निम्न शब्द जोड़े जाते हैं:—

अथवा “60 प्रतिशत विकलांग”

शेष शर्तें पूर्व में जारी अधिसूचना क्र. एफ 7-2-2012-छः; दिनांक 26 जून 2012 के अनुसार रहेंगी. यह संशोधन राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से लागू माना जायेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.